राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 297/2015/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ट्राईगंल इंजिनियर्स प्रा.लि.,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 223/अपील्स–I/आरवैट/जयपुर/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 84,810/– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.04.2013 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आर.जे.–27जीबी–5445 को बलीचा, उदयपुर में रूकवाकर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में अधिसूचित माल सैरेमिक टाईल्स मोरबी (गुजराज) से जयपुर परिवहनित किया जा रहा था, जिसके साथ संलग्न वैट–47 संख्या 7085414 दिनांक 16.06.2010 अवधिपार हो चुका है। सशक्त अधिकारी द्वारा अवधिपार वैट–47 संलग्न किये जाने को अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अवधिपार घोषणा पत्र वैट–47 भूल से संलग्न किया जाना माना, तथा नया वैट–47 संख्या 7085416 विस्तारित अवधि दिनांक 30.04.2015 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 84,810/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर

लगातार.....2

दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की दृष्टि से अवधिपार वैट–47 संलग्न कर माल का परिवहन किया जा रहा था, एवं कारण बताओ नोटिस के साथ नया वैट–47 संख्या 7085416 विस्तारित अवधि दिनांक 30.04.2015 का प्रस्तुत करना प्रत्यर्थी व्यवहारी की **"पश्चात्वर्ती सोच"** का परिणाम है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन के साथ बिल, बिल्टी एवं वैट–47 मौजूद थे। परन्तु तकनीकी भूल से कालातीत वैट–47 संलग्न हो गया, जिस पर शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं होगा। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 2505/2011/चुरू वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गोल्डन एक्सपोर्ट आदेश दिनांक 08.01.2013 का उद्धरण किया।** आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल एवं बिल्टी संलग्न थे, परन्तु जो घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न था, वो अवधिपार हो चुका था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय **माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 2505/2011/चुरू वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गोल्डन एक्सपोर्ट आदेश दिनांक 08.01.2013** में अवधिपार घोषणा पत्र वैट–47 को एक तकनीकी भूल माना है, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम धारा 76(6) के प्रावधानों का उल्लंघन कर करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.06.2014 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य